

PACS-FPO एकीकरण के अवसरों का आकलन

यह एडिटोरियल 17/07/2023 को 'हिंदू बज़िनेसलाइन' में प्रकाशित "Catalysing cooperation between PACS and FPOs" लेख पर आधारित है। इसमें प्राथमिक कृषि सहकारी समतियों (PACS) और कसिन उत्पादक संगठनों (FPOs) के समक्ष विद्यमान चुनौतियों और अवसरों के बारे में चर्चा की गई है।

प्रलिमिस के लिये:

ई-कॉमरेस, ई-लरनिंग, ई-हेल्थकेयर, जैविक कृषि, कृषि विनियोग, नवीकरणीय ऊर्जा, चक्रीय अर्थव्यवस्था, जन सेवा केंद्र

मेन्स के लिये:

PACS-FPO के एकीकरण से संबंधित चुनौतियाँ और अवसर

भारत का कृषिक्षेत्र विविध है, जिससे 13 करोड़ से अधिक कसिन संलग्न हैं, जिनमें से अधिकांश लघु एवं सीमांत कसिन हैं। इन कसिनों को सशक्त बनाने और वित्त, बाजार एवं सेवाओं तक उनकी पहुँच में सुधार करने के लिये सरकार ने विभिन्न पहलें शुरू की हैं, जैसे प्राथमिक कृषि सहकारी समतियों (Primary Agriculture Cooperative Societies- PACS) का कम्प्यूटरीकरण और कसिन उत्पादक संगठनों (Farmer Producer Organizations- FPOs) का गठन।

PACS-FPO एकीकरण नकायाँ और कसिनों दोनों के लिये ही लाभ का स्रोत है। यह सहयोग एवं सहकार्यता के ऐसे मॉडल का सृजन कर सकता है जो अन्य क्षेत्रों और भू-भागों को प्रेरित कर सकता है।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को रूपांतरित करने और कसिनों की आय एवं आजीविका बढ़ाने में ये दोनों नकाय महत्त्वपूर्ण भूमिका नभी सकते हैं। हालाँकि अपनी पूरी क्षमता हासिल करने के लिये उन्हें सहकारीतामक और सहयोगात्मक तरीके से मालिकर कार्य करने की ज़रूरत है।

PACS और FPOs:

प्राथमिक कृषि सहकारी समतियों (PACS):

- PACS सहकारी समतियों हैं जो अपने सदस्यों, जिनमें अधिकांश कसिन हैं, को अल्पकालिक ऋण और अन्य सेवाएँ प्रदान करती हैं।
- वे भारत में सहकारी ऋण संरचना के ज़मीनी स्तर के संस्थान हैं।
- देश में लगभग 90,000 PACS हैं, 13 करोड़ कसिन जिनके सदस्य हैं।
- कम्प्यूटरीकरण द्वारा PACS को रूपांतरित किया जा रहा है; वे बहुसेवा प्रदान कर रहे हैं, जन सेवा केंद्र (CSC) के रूप में बजिली, जल, द्वाओं का वितरण और अन्य सेवाएँ प्रदान कर रहे हैं।

कसिन उत्पादक संगठन (FPOs):

- FPOs कसिनों के समूह द्वारा गठित ऐसे विधिक नकाय हैं जो समान हति और लक्ष्य साझा करते हैं।
- वे विभिन्न विधिक रूपों—जैसे सहकारी समतियों, कंपनियों, ट्रस्ट या समतियों के तहत पंजीकृत होते हैं।
- FPOs का लक्ष्य छोटे और सीमांत कसिनों की उपज और सौदेबाजी शक्ति का समूहन करवत्ति और बाजारों तक उनकी पहुँच को बेहतर बनाना है।
- वे अपने सदस्यों को तकनीकी सहायता, इनपुट आपूर्ति, मूल्यवरदधन और गुणवत्ता आश्वासन भी प्रदान करते हैं।
- देश में लगभग 7,500 FPOs कार्यरत हैं, जो विभिन्न एजेंसियों द्वारा पंजीकृत हैं।

PACS-FPO एकीकरण की महत्ता:

कसिनों को सशक्त करना:

- यह एकीकरण कसिनों को एक व्यापक सहायता प्रणाली प्रदान कर सकता है जो क्रेडिट सेवाओं, वित्तीन अवसरों और तकनीकी सहायता को संयुक्त करता है।

- यह समग्र दृष्टिकोण कसिनों की आय बढ़ाने और उनकी समग्र भलाई में सुधार करने में योगदान कर सकता है।
- बाजार तक पहुँच और मूल्यवरद्धन:
 - PACS के स्थापति बाजार संपर्कों और नेटवर्क से FPOs लाभ उठा सकते हैं तथा अपनी पहुँच के वसितार के साथ ही अपनी सौदेबाजी शक्ति को बढ़ा सकते हैं।
 - यह एकीकरण FPOs को बेहतर बाजारों तक पहुँच बनाने, अनुकूल मूल्यों के लिये सौदेबाजी कर सकने और अपनी कृषिउपज में मूल्यवरद्धन कर सकने में सक्षम बना सकता है।
- ज्ञान साझेदारी और वशिष्यज्ञता:
 - PACS ग्रामीण वत्तित के मामले में अपने अनुभव और वशिष्यज्ञता के साथ, FPOs के साथ अपने ज्ञान एवं सर्वोत्तम अभ्यासों की साझेदारी कर सकते हैं।
 - यह सहयोग FPOs को वित्तीय प्रबंधन, जोखिम मूल्यांकन और शासन जैसे क्षेत्रों में उनकी परचालन दक्षता को सशक्त करने में मदद कर सकता है।
- 'रसिओरस पूलिंग':
 - इस एकीकरण से वित्तीय संसाधनों, अवसंरचना और तकनीकी वशिष्यज्ञता सहित संसाधन जुटाने या रसिओरस पूलिंग (Resource Pooling) का लाभ प्राप्त हो सकता है।
 - PACS और FPOs के बीच संसाधनों की साझेदारी से लागत को अनुकूलति किया जा सकता है, दक्षता बढ़ाई जा सकती है और तालमेल का नियमांकन किया जा सकता है, जिससे दोनों संस्थाओं को लाभ होगा।
- नीतिसमर्थन और मान्यता:
 - PACS और FPOs का एकीकरण सामूहिक कार्रवाई और कसिन-केंद्रति पहलों के महत्वपूर्ण की ओर ध्यान आकर्षित कर सकता है।
 - इससे ऐसे नीतिसमर्थन का विकास हो सकता है, जिससे एकीकृत मॉडल को और बढ़ावा देने तथा सशक्त करने के लिये अनुकूल नीतियाँ, प्रोत्साहन और योजनाएँ लाई जा सकती हैं।
 - उदाहरण के लिये वे FPOs जो 'एक ज़िला एक उत्पाद (ODOP)' से संबद्ध हैं और वशिव बैंक प्रायोजनि 'स्मार्ट' (SMART) तथा केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं, वे तुलनात्मक रूप से अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं; यहाँ तक कि एक करोड़ रुपए से अधिक के ट्रनओवर को भी पार कर रहे हैं।
- नवाचार और प्रौद्योगिकी अपनाना:
 - PACS और FPOs को एकीकृत करने से नवोन्मेषी अभ्यासों और प्रौद्योगिकियों को अपनाने में सुविधा हो सकती है।
 - इससे कृषिउत्पादकता में सुधार, कुशल आपूरति शृंखला और बेहतर बाजार पहुँच के परिणाम प्राप्त होंगे, जो कृषिक्षेत्र की समग्र वृद्धि और विकास में योगदान कर सकते हैं।

PACS और FPOs की सामूहिक भूमिका:

- ऋण में सहयोग:
 - PACS, FPOs और उनके सदस्यों को रियायती दरों एवं लचीली शर्तों पर ऋण एवं अन्य सेवाएँ प्रदान कर सकते हैं। इससे FPOs को अपनी वित्तीय बाधाओं को दूर करने और अपने परचालन स्तर को बढ़ाने में मदद मिलेगी।
- बेहतर नेटवर्किंग:
 - FPOs अधिक कसिनों और बाजारों तक पहुँच बनाने के लिये PACS के मौजूदा नेटवर्क और अवसंरचना का लाभ उठा सकते हैं। इससे FPOs को अपनी लेनदेन लागत कम करने और अपनी दक्षता बढ़ाने में मदद मिलेगी।
- सामूहिक विपणन:
 - PACS अपनी उपज के लिये बेहतर मूल्य और गुणवत्ता प्राप्त करके FPOs की सामूहिक विपणन और मूल्य संवरद्धन गतिविधियों से लाभ उठा सकते हैं। इससे PACS को अपनी लाभप्रदता और स्थिरता में सुधार लाने में मदद मिलेगी।
- सामाजिक पूँजी का लाभ उठाना:
 - FPOs अपने प्रशासन और नियन्यन में कसिनों को शामिल करके PACS के पास मौजूद सामाजिक पूँजी एवं भरोसे से लाभ उठा सकते हैं। इससे FPOs को अपनी वैधता और जवाबदेही बढ़ाने में मदद मिलेगी।
- अन्य आरथकि सहयोग:
 - PACS और FPOs संयुक्त रूप से मधुमक्खी पालन, मशरूम की खेती, गैर-कृषि गितविधियों (हथकरघा, हस्तशलिपि, यात्रा, मीडिया, शिक्षा एवं स्वास्थ्य) जैसी उच्च आय सृजन करने वाली गतिविधियों पर संयुक्त रूप से कारब्य कर सकते हैं।

PACS-FPOs एकीकरण से संबंधित चुनौतियाँ:

- संगठनात्मक और सांस्कृतिक अंतर:
 - PACS और FPOs एक-दूसरे से भनिन संगठनात्मक संरचनाएँ, शासन प्रणाली और परचालन प्रक्रयाएँ रखते हैं।
 - दोनों निकायों को एकीकृत करने के लिये इन भनिनताओं को दूर करने और एक ऐसे सामंजस्यपूरण ढाँचा स्थापति करने की आवश्यकता होगी जो दोनों को समायोजनि करे।
- वशिवास और सहयोग:
 - सफल एकीकरण के लिये PACS और FPOs के बीच वशिवास नियमांकन और सहयोग को बढ़ावा देना अत्यंत आवश्यक है।
 - PACS के कसिनों के साथ प्रायः दीर्घकालिक संबंध होते हैं और FPOs को स्वयं को वशिवासनीय भागीदार के रूप में स्थापति करने की आवश्यकता है। किसी भी शुरुआती संदेह या प्रतिरोध पर काबू पाना इस सहयोग के विकास के लिये महत्वपूरण होगा।
- विनियोगिक और कानूनी ढाँचे में सुधार:
 - PACS और FPOs को नियंत्रित करने वाले नियमिक और कानूनी ढाँचे को संरेखित करना चुनौतीपूरण सदिध हो सकता है।

- कसी भी वसिंगताको दूर करने, प्रवर्तनीय कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने और एकीकृत संचालन के लिये एक सहायक नियमक वातावरण का सूजन करने के लिये विधायी संशोधन या नीतिपरिवर्तन की आवश्यकता हो सकती है।
- **वित्तीय एकीकरण:**
 - वित्तीय सेवाओं को एकीकृत करने और मौजूदा PACS अवसंरचना के तहत FPOs के लिये ऋण, बचत एवं अन्य वित्तीय उत्पादों तक नियमित पहुँच सुनिश्चित करने के लिये सावधानीपूर्ण समन्वय एवं योजना निर्माण की आवश्यकता होगी।

PACS-FPOs एकीकरण से उभरने वाले संभावित बजिनेस मॉडल हैं:

- **'प्लेटफॉर्म को-ऑपरेटिव'** (Platform Cooperatives):
 - ये सहकारी समतियों उत्पादकों को उपभोक्ताओं से जोड़ने के लिये डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करती हैं और अपने सदस्यों द्वारा सूजित डेटा का उपयोग करके **ई-कॉमरेस, ई-लरनिंग, ई-हेलथकेयर** जैसी सेवाएँ प्रदान कर सकती हैं।
- **सतत सहकारी समतियों** (Sustainable Cooperatives):
 - ये ऐसी सहकारी समतियों हैं जो अपने प्रयोग को कम करने और अपने सामाजिक प्रभाव को बढ़ाने के लिये **जैवकि कृषि, कृषि वानकी, नवीकरणीय ऊरजा, अपशिष्ट प्रबंधन** जैसे सतत/संवहनीय अभ्यासों को अपनाती हैं।
- **चक्रीय अर्थव्यवस्था** (Circular Economy):
 - PACS और FPOs बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग, जैवकि कचरे की कम्पोस्टिंग, पोषक तत्वों की पुनरप्राप्ति आदि के माध्यम से **चक्रीय अर्थव्यवस्था** के सदिधांतों को अपना सकते हैं।
- **पुनर्योजी कृषि** (Regenerative Agriculture):
 - PACS और FPOs नो-टिलिंग (no-till), कवर क्रॉप्स (cover crops), फसल चक्र (crop rotation), मल्चिंग (mulching) आदि तकनीकों का उपयोग कर **पुनर्योजी कृषि** का अभ्यास कर सकते हैं।
- **'कस्टम हायरिंग सेंटर'** (Custom Hiring Centres):
 - ये उन कसिानों को करिये पर कृषि विभानी और उपकरण (झरोन, सेंसर, सचाई उपकरण आदि) प्रदान करते हैं जो उन्हें खरीदने या रखरखाव करने में सक्षम नहीं होते हैं।

PACS और FPOs को एकीकृत करने हेतु उठाए जाने वाले संभावित कदम:

- सरकार और अन्य एजेंसियों की भूमिका:
 - **नीति परिवेश का नियमांनय करना:** PACS और FPOs को एकीकरण के समर्थन के लिये अनुकूल नीतियों और विनियमन प्रदान किया जाए।
 - **कृष्मता नियमांनय और मार्गदर्शन सहायता:** एकीकरण के विभिन्न पहलुओं पर PACS और FPOs को प्रशिक्षण, मार्गदर्शन एवं सहायता प्रदान किया जाए।
 - **भागीदारीपूर्ण लरनिंग प्लेटफॉर्म और इन्कूबेशन सेंटर:** ऐसे मंच और केंद्र बनाए जाएँ जहाँ PACS और FPOs एक-दूसरे के अनुभवों से सीख सकें, सर्वोत्तम अभ्यासों की साझेदारी कर सकें और नवाचार समर्थन तक पहुँच बना सकें।
- **PACS और FPOs की भूमिका:**
 - **विभिन्न हतिधारकों के साथ सहयोग:** अपनी कृष्मता और पहुँच को बढ़ाने के लिये गैर-सरकारी संगठनों, नजीकी क्षेत्र, अनुसंधान संस्थानों, मीडिया आदि अन्य अभिकर्ताओं के साथ साझेदारी एवं सहयोग को बढ़ावा देना।
 - **कसिानों के बीच नवाचार और उद्यमता:** कसिानों को नए विचारों, उत्पादों, सेवाओं और उद्यमों को विकसित करने के लिये प्रोत्साहन एवं समर्थन दिया जाए जिससे उनकी उपज और आय का मूल्यवर्द्धन हो सके।

अभ्यास प्रश्न: प्राथमिक कृषि ऋण समतियों (PACS) और कसिान उत्पादक संगठनों (FPOs) के एकीकरण से एक ऐसे मॉडल का नियमांनय हो सकता है जिससे दोनों नियमित विधायी कानूनों की कृष्मता का पूरा लाभ मिलने के साथ कसिानों की समस्याओं को हल करने हेतु तारकिक समाधान प्राप्त होंगे। आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिये।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, विभिन्न वर्ष के प्रश्न

प्रश्न:

प्रश्न. नियमित विधायी कानूनों पर विचार कीजिये: (2020)

1. कृषिक्षेत्र को अल्पकालिक ऋण प्रदान करने के संदर्भ में ज़िला केंद्रीय सहकारी बैंक (DCCBs), अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और कृषेत्रीय ग्रामीण बैंकों की तुलना में अधिक ऋण प्रदान करते हैं।
2. DCCB का एक सबसे प्रमुख कार्य प्राथमिक कृषि साख समतियों को नियमित उपलब्ध कराना है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (b)

प्रश्न. भारत में 'शहरी सहकारी बैंकों' के संदर्भ में नमिनलखिति कथनों पर विचार कीजिये: (2021)

1. उनका प्रयोक्षण और वनियमन राज्य सरकारों द्वारा स्थापति स्थानीय बोर्डों द्वारा किया जाता है।
2. वे इक्वटी शेयर और वरीयता शेयर जारी कर सकते हैं।
3. उन्हें 1966 में एक संशोधन के माध्यम से बैंकगी वनियमन अधिनियम, 1949 के दायरे में लाया गया था।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (b)

??/?/?/?/?:

प्रश्न. "गाँवों में सहकारी समतिको छोड़कर ऋण संगठन का कोई भी ढाँचा उपयुक्त नहीं होगा।" - अखलि भारतीय ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण। भारत में कृषिवित्त की पृष्ठभूमि में इस कथन पर चर्चा कीजिये। कृषिवित्त प्रदान करने वाली वित्त संस्थाओं को कनि बाधाओं और कसौटियों का सामना करना पड़ता है? ग्रामीण सेवारथियों तक बेहतर पहुँच और सेवा के लिये प्रौद्योगिकी का कसि प्रकार उपयोग किया जा सकता है?" (2014)

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/assessing-the-scope-of-pacs-fpo-integration>